

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

(यात्रा भत्ता देयक पत्र)

व्यय शीर्षक

नाम पद व पता _____
 ग्रेड पे _____
 यात्रा का उद्देश्य एवं तिथि _____
 बैंक का नाम एवं शाखा _____ खाता संख्या _____
 आई0एफ0एस0सी0 कोड _____ पैन नं0 _____

प्रस्थान का स्थान	तिथि एवं समय	आगमन का स्थान	तिथि एवं समय	यात्रा सड़क / रेल (श्रेणी)	दूरी किमी०	वास्तवविक किराया

आनुषांगिक व्यय किमी०.....
 सड़क किमी० भत्ता किमी०.....
 दैनिक भत्ता दिन.....
 कुल योग रू०.....
 (रू०.....)

प्रमाणित किया जाता है कि—

- मेरे द्वारा उक्त यात्रा देयक प्रथम बार भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
- मैं उसी श्रेणी में यात्रा-किराये की मांग कर रहा हूँ जिसका मैं अधिकारी हूँ तथा वास्तव में यात्रा की है तथा वापसी की यात्रा भी उसी श्रेणी में करूँगा।
- यात्रा बिल में दर्शायी गयी किराये की राशि वास्तव में मेरे द्वारा भुगतान की गयी है तथा सही है

प्रमाणित किया जाता है कि—

- उक्त देयक भत्ता देयक पंजिका के पृष्ठ स.०..... क्रमांकमें दर्ज किया गया है।
- उक्त यात्रा विश्वविद्यालय कार्य हित में की गई है व प्रथम बार भुगतान हेतु पारित किया जा रहा है।

कुलसचिव
 कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

रू०..... (शब्दों में.....) मात्र भुगतान हेतु पारित

सहायक

लेखा अधीक्षक

सहायक कुलसचिव

वित्त अधिकारी

यात्रा भत्ता नियम

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 संख्या 78/
दि0 01-03-09 एवं शासनादेश 411 पुनरीक्षण।

देहरादून

दि0 06-01-2010 के द्वारा यात्रा भत्ता की दरों का

(क) दैनिक भत्ता की दरें-

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	दैनिक भत्ता भत्ते की दरें			प्रतिपूर्ति दरें
	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र	
ग्रेड वेतन रू0 8900, 10000, 12000 तथा एचएजी व उच्च	रू0 350	रू0 250	रू0 200	रू0 1000
ग्रेड वेतन रू0 4300, 5400, 6600, 7600 व 8700	रू0 250	रू0 190	रू0 160	रू0 750
ग्रेड वेतन रू0 4800 से कम	रू0 150	रू0 120	रू0 100	

यात्रा भत्ता देयक के साथ उक्त व्यय का मूल वाउचर्स संलग्न किये जाने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।

(ख) अनुषांगिक व्यय की दरें

क्रम संख्या	ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अनुषांगिक व्यय की दरें
1-	ग्रेड वेतन रू0 8900, 10000, 12000 तथा एचएजी व उच्च	50 पैसे प्रति किमी0
2-	ग्रेड वेतन रू0 4800, 5400, 6600, 7600 व 8700	35 पैसे प्रति किमी0
3-	ग्रेड वेतन रू0 4200 से कम	20 पैसे प्रति किमी0

नोट :

- आठ घण्टे से कम के अवस्थान पद दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य पर्वतीय स्थानों में दैनिक भत्ता की दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। दैनिक भत्ता/यात्रा/कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर होगा।
- सड़क किमी0 भत्ता सभी श्रेणियों हेतु कलैक्ट्रेट से बस/रेलवे स्टेशन तक रू0 6.00 प्रति किमी0 देय होगा।
- रेल ए0सी0 प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने पर टिकट संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। हवाई जहाज से यात्रा करने पर टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
- रेल ए0सी0 प्रथम, हवाई जहाज, निजी वाहन अथवा पूरी टैक्सी से यात्रा हेतु कुलपति जी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- पूरी टैक्सी से यात्रा करने पर टैक्सी किराये की लॉगबुक की रसीद ही मान्य होगी। हाथ से तैयार की गई टैक्सी किराये की रसीदों के द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।
- जहाँ आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होगी दैनिक भत्ता 1/4 देय होगा तथा जहाँ आवास अथवा भोजन में से एक ही सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ दैनिक भत्ता 1/2 की दर से देय होगा।
- अ' श्रेणी नगरों में देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल है 'ब' श्रेणी में जिला मुख्यालय तथा 'स' श्रेणी में शेष समस्त क्षेत्र है।
- जो स्थान रेल से जुड़े न हो ए0सी0 टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए0सी0 बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य को डीलक्स/साधारण बस से यात्रा हेतु अधिकृत किया जा सकता है।
- प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है।
- रू0 5400 अथवा अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को ही होटल/अन्य संस्थान में रहने व स्थानीय यात्राओं हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।